पत्रांकः-भवन-12/अभि0प्र0(यो0)-02-विविध-33/2019................/ 2433(अ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमित कुमार,
संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित)
भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांकः-19/3/2020

विषयः- निर्धारित अवधि के पूर्व योजना पूर्ण होने पर उसकी सूचना मुख्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके प्रमंडल के अंतर्गत वैसी निर्माणाधीन परियोजनाएँ, जिसमें निर्धारित अवधि के पूर्व, एकरारनामा के अनुसार शत प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया जाता है तथा एस0 बी0 डी0 की कंडिका 2A के तहत Incentive का दावा संभावित हो, तो उसकी सूचना अविलम्ब संपुष्ट माध्यम (पत्र/ई-मेल/दूरभाष) से मुख्यालय एवं मुख्य अभियंता (गुणवत्ता) को दी जाय ताकि तुरंत मुख्यालय से वरीय पदाधिकारीयों की टीम अथवा उड़नदस्ता की टीम के द्वारा कार्य स्थल पर पहुँचकर योजना की जाँच की जा सकें।

उड़नदस्ता टीम का यह दायित्व होगा कि अविलम्ब कार्य स्थल पर पहुँच कर जाँचोपरान्त संतुष्ट हो लेंगें कि एकरारनामा के अनुसार सभी कार्य शत प्रतिशत विशिष्टियों के साथ पूर्ण कर लिया गया है। उनके द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र/प्रतिवेदन के आधार पर ही संवेदक को Incentive के भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई की जायगी।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

18/3

(अमित कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 2433(अ)

पटना, दिनांक-19/3/20

प्रतिलिपिः-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/अपर सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/मुख्य वास्तुविद्/सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित)/निदेशक (अनुश्रवण)/आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/20

संयुक्त सचिव